न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018RAAJu225RTA151 ShantiDevi Vs Ashoksingh n Ors

श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी श्री चिमनाराम खटीक
निवासी ग्राम खींचन, तहसील फलोदी
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. अशोकसिंह पुत्र अर्जुनसिंह राजपुरोहित
2. भंवरसिंह पुत्र पनेसिह राजपुरोहित
   निवासीगण ग्राम खींचन, तहसील फलोदी
   जिला जोधपुर
3. ओ.बी.सी. बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक खींचन
   तहसील फलोदी, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 29 जून 2018 उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व प्रकरण संख्या 234/2012 श्रीमती शांतिदेवी बनाम अशोकसिंह व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
अन्य रेस्पो. की ओर से कोई उपस्थित नहीं

नि र्ण य

दिनांक : 07फ़र., 2020

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, फलोदी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 234/2012 शांतिदेवी बनाम अशोकसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29 जून 2018 के खिलाफ राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 06 सितम्बर 2018 को पेश की गयी है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थिनी-अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर ग्राम खींचन स्थित स्वयं की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 395/3 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा तक आवागमन हेतु रेस्पो. संख्या एक की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 333 में से रास्ते की मांग की, और विकल्प में रेस्पो. संख्या दो की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 332 में से रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर रेस्पो.-अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवायी गयी। रेस्पो. संख्या एक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जबाब पेश कर जाहिर किया गया कि उसकी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 333 का रकबा मात्र 01 बीघा 04 बिस्वा ही है और यदि उसमें से रास्ता दिया गया तो उसका खेत रास्ते में ही तब्दील हो जायेगा और वह अकारण ही अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जायेगा। खसरा संख्या 332 में से रास्ता बाबत रेस्पो. संख्या एक की ओर से कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया गया। तहसीलदार फलोदी ने रिपोर्ट पेश कर खसरा संख्या 332 में से न्यूनतम रास्ता होना जाहिर किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की सुनवाई के बाद अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलाण्ट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खेत से लगता हुआ कटाणी मार्ग चल रहा है और उक्त रास्ते को ग्राम पंचायत खींचन ने धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 15 जनवरी 2016 को खुलवाया है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट की खातेदार की भूमि तक आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र के निस्तारण के कम में दो मौका रिपोर्ट तलब की गयी, दोनों में ही कहीं कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना अंकित नहीं है।तहसीलदार फलोदी की रिपोर्ट में जिस कदीमी रास्ते का हवाला दिया गया है, वह रेकर्डेड रास्ता नहीं है और अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे वैकल्पिक रास्ता मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीर भूल की गयी है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने मियाद-प्रार्थनापत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराया और अपील मियादशुमार किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि उसकी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 333 का रकबा मात्र 01 बीघा 04 बिस्वा ही है और यदि उसमें से रास्ता दे दिया गया तो उसका खेत रास्ते में ही तब्दील हो जायेगा और वह अकारण ही अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जायेगा। बहस में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक ने यह भी जाहिर किया कि खसरा संख्या 333 में से रास्ता हेतु मार्क ए-बी-सी-डी भूमि का बतौर रास्ता अपीलाण्ट द्वारा कभी उपयोग नहीं किया गया, इस

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

भू-भाग में रेस्पो. संख्या एक का रहवासीय कमरा बना हुआ है। अपीलाण्ट के खेत से चिपता हुआ कटाणी मार्ग चल रहा है, जिसे ग्राम पंचायत खीचन द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत दिनांक 15 जनवरी 2016 को खुलवाया भी गया था। ऐसी स्थिति में अन्य रास्ता उपलब्ध होते हुए मात्र सुविधाजनक रास्ता की दृष्टि से अपीलाण्ट के लिए आवागमन का कोई नया रास्ता नहीं खोला जा सकता है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में प्रार्थनापत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलाण्ट के खेत खसरा संख्या 395/3 कटाणी मार्ग चल रहा है और उक्त रास्ते को ग्राम पंचायत खींचन ने धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 15 जनवरी 2016 को खुलवाया है। **तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 30 मई 2016 के अनुसार उक्त कटाणी रास्ता अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि से करीब एक किलोमीटर दूरी पर है।** इसके विपरीत खसरा संख्या 333 व 332 दोनों अपीलाण्ट की खातेदारी के खेत से समान दूरी पर है और दोनों डामर सडक से लगते हुए है और रास्ते की चौडाई 20 फीट मानते हुए दोनों खसरों के लिए स्थान **100 फीट लम्बाई** होना उक्त रिपोर्ट में दर्शाया गया है। चूंकि रेस्पो. संख्या एक की खातेदारी के खसरा संख्या 333 का रकबा मात्र 01 बीघा 04 बिस्वा ही है, ऐसे में यदि इस खसरा नम्बर की भूमि में से अपीलाण्ट की खातेदारी के खेत

खसरा संख्या 395/3 तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराया जाता है तो निश्चय ही रेस्पो. संख्या एक के लिए कृषि योग्य भूमि नाममात्र की शेष रह जावेगी जिसका उपयोग कर पाना दुष्कर हो जाएगा। **खसरा संख्या 332, जिसके खातेदार भंवरसिंह** पुत्र पनेसिंह बावजूद रजिस्टर्ड एडी नोटिस की डिलीवरी दिनांक 21 जनवरी 2020 होने अनुपस्थित रहे, का रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा है, **जिसमें से न्यूनतम दूरी के आधार पर अपीलाण्ट की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 395/3 तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित पाया जाता है।**

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, चूंकि गुणावगुण के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स सारवान पायी जाती है, अतः समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में प्रकरण मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर खारिज कर पक्षकार के लिए न्याय-प्राप्ति का मार्ग अवरूद्ध करना न्यायोचित नहीं समझते हुए अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 जून 2018 अपास्त करते हुए ग्राम खींचन स्थित अपीलाण्ट की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 395/3 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा तक आवागमन हेतु **रेस्पो. संख्या दो की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 332 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा में से खसरा संख्या 333 व 332 के मध्य की माठ की तरफ तहसीलदार फलोदी द्वारा अग्रेषित आई.एल.आर. द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट दिनांक 30 मई 2018 में दर्शाये नजरी नक्शे में लाल स्याही से डॉटेड (प्रस्तावित भूमि) 92 फीट लम्बाई वाला 20 फीट चौडा स्वीकृत किया**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाता है। अपीलाण्ट से उक्त रास्ते में प्रयुक्त होने वाले 1840 वर्गफीट भू-क्षेत्र की नियमानुसार डी.एल.सी. 162,900 प्रतिबीघा की दर की दुगुनी राशि रूपये 34,405/- खसरा संख्या 332 के खातेदार को विधिवत भुगतान कर दिये जाने के बाद तहसीलदार फलोदी रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/2/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर